

87. अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं.

भवन की अग्नि सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाएं निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाएंगी. -

- (1) राज्य द्वारा अग्नि शमन प्राधिकारी पदाभिहित किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक गगन चुम्बी इमारत की भवन अनुज्ञा, अग्नि शमन प्राधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही की जाएगी।
- (3) राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग चार में उल्लिखित अग्नि सुरक्षा उपाय लागू होंगे।

88. "संरचनात्मक डिजाइन" - संरचनात्मक डिजाइन की नींव (फाउन्डेशन), मेसनरी, टिम्बर, प्लेन, कांकीट, रिइनफोर्सड कांकीट, प्रिस्ट्रेसड कांकीट तथा स्ट्रक्चरल स्टील की संरचना डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स द्वारा निहित किए गए सभी सुसंगत भारतीय मानकों जिनमें निम्नलिखित भारतीय मानक सम्मिलित हैं, को ध्यान में रखते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया के भाग-छह-स्ट्रक्चरल डिजाइन, अनुभाग-1 लोड्स, अनुभाग-2 फाउन्डेशन, अनुभाग-3 बुड, अनुभाग-4 मेसनरी, अनुभाग-5 कांकीट, अनुभाग-6 स्टील के अनुसार की जाएगी।

भूकम्प की संभावना वाले 15 जिलों में अर्थात् सीधी, शहडोल, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, देवास, पूर्व निमाड़, पश्चिम निमाड़, इंदौर, धार तथा झाबुआ में और ऐसे अन्य जिलों में जो समय-समय पर भूकम्प की संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जाएं, संरचना डिजाइन निम्नलिखित मानकों के अनुसार होगी -

1. आर.सी.सी. से निर्माण तथा ईट के पक्के निर्माण हेतु -

(एक) भारतीय मानक : 1893-1986

(दो) भारतीय मानक : 13920-1993 (भारतीय मानक 456, भारतीय मानक, 1893)

के साथ पढ़ा जाए

(तीन) भारतीय मानक : 4326-1993 (भारतीय मानक 1893 के साथ पढ़ा जाए)

2. कम मजबूती के मिट्टी, गारा एवं ब्लाक की चिनाई हेतु -

(एक) भारतीय मानक : 13827-1993

(दो) भारतीय मानक : 13828-1993 (ख) मरम्मत तथा मजबूती हेतु

(तीन) भारतीय मानक : 13935-1993

9/11
अनुभाग अधिकासी
मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग